प्रश्न सं. [क्र. 203]

परिशिष्ट- 'अ'

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 203 द्वारा श्रीआतिफ आरिफ अकील

(सत्र दिसम्बर-2025)

जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्यांक 60) की धारा-3

3. आयोग की नियुक्ति—(1) [1][जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समुचित सरकार] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक आयोग की नियुक्ति, सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करने तथा ऐसे कृत्यों को, और इतने समय के अंदर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, करने के प्रयोजन के लिए उस दशा में, जिसमें उसकी यह राय है कि वैसा करना आवश्यक है, कर सकेगी और उस दशा में जिसमें [2][यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] द्वारा इस निमित्त संकल्प पारित किया जाए, करेगी और ऐसे नियुक्त आयोग तदनुसार जांच करेगा और कृत्यों का पालन करेगा :

परन्तु जहां किसी मामले की जांच के लिए ऐसे आयोग की नियुक्ति—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है, वहां उसी मामले की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना कोई भी राज्य सरकार तब तक नहीं करेगी जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा हो ;

(ख) किसी राज्य सरकार द्वारा की गई है, वहां उसी मामले की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार तब तक जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा हो, उस दशा के सिवाय नहीं करेगी जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय है कि जांच की परिधि दो या अधिक राज्यों तक विस्तारित कर दी जानी चाहिए ।

(2) आयोग में समुचित सरकार द्वारा नियुक्त एक या अधिक सदस्य हो सकेंगे और जहां आयोग में एक से अधिक सदस्य हों, वहां उनमें से एक उनका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा ।

[3][(3) आयोग द्वारा जांच के किसी भी प्रक्रम में, समुचित सरकार, किसी ऐसी रिक्ति को भर सकेगी जो आयोग के किसी सदस्य के पद में हुई हो (चाहे आयोग में एक सदस्य हो या उससे अधिक) ।

(4) समुचित सरकार, [2][यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] के समक्ष, उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा की गई जांच पर आयोग की रिपोर्ट, यदि कोई हो, उस पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित, आयोग द्वारा समुचित सरकार को रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने से छह मास की कालावधि के अंदर, रखवाएगी ।]

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
(कक्ष 10)

परिशिष्ट- 'ब'

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 203 द्वारा **श्रीआतिफ आरिफ अकील**
(सत्र दिसम्बर-2025)

जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा-3 के अंतर्गत गठित जांच आयोग जिनकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त होने के बाद भी विधान सभा पटल पर नहीं रखी गई :-

क्र.	आयोग का नाम	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक जिसके अनुसार आयोग का गठन किया गया	आयोग से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने का दिनांक	जांच प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर न रखने का कारण
1	2	3	6	7
1	सामाजिक सुरक्षा पैंशन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन की अनियमितताओं की जांच हेतु जांच आयोग	अधिसूचना क्र. एफ-22-15/2005/1-10 दिनांक 08.02.2008	दिनांक 15.09.2012 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	जॉच प्रतिवेदन मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष प्रस्तुति कार्यवाही प्रचलित।
2	भोपाल यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग भोपाल	अधिसूचना क्र. एफ-24-9/2010/1-10 दिनांक 25.08.2010	दिनांक 24.02.2015 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	गैस राहत विभाग में कार्यवाही प्रचलित।
3	जिला भिण्ड गोली चालन घटना न्यायिक जांच आयोग	अधिसूचना क्र. एफ-24-1/2012/ 1-10 दिनांक 12.07.2012	दिनांक 31.12.2017 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित।
4	गोसपुरा नं. 02 मान मंदिर ग्वालियर की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु जांच आयोग	अधिसूचना क्र. एफ-24-3/2015/ 1-10 दिनांक 17.08.2015	दिनांक 09.01.2017 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित।
5	पेटलावद जिला झाबुआ में हुये विस्फोट घटना जांच आयोग	अधिसूचना क्र. एफ-24-5/ 2015/1-10 दिनांक 15.09.2015	दिनांक 11.12.2015 को जांच प्रतिवेदन प्राप्त।	गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित।
6	मंदसौर में घटित घटना जांच आयोग	अधिसूचना क्र. एफ-24-6/2017/1-10 दिनांक 12.06.2017	दिनांक 11.06.2018 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित।

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
(कक्ष 10)